संख्या : 14/3/2014-ईओयू

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 23 सितंबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 18 सितंबर, 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तीसरी बैठक (2014 सीरीज) का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 18 सितंबर, 2014 को ईओयू योजना के लिए आयोजित अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2014 सीरीज) के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया इस विभाग को अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार पर भेजें।

(एस एस कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स : 23062496
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

संलग्नक : यथोपरि

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त।

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव (एमपी) के पीपीएस / संयुक्त सचिव (आरए) के पीएस / निदेशक (एमवी) के पीएस

ईओयू योजना के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 18 सितंबर, 2014 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तीसरी बैठक (2014 सीरीज) का कार्यवृत्त

वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 18 सितंबर, 2014 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2014 सीरीज) हुई। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ने बीओए के सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा लिया गया।

3.1(14) 24 जुलाई, 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2014 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि

अनुमोदन बोर्ड ने 24 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक (2014 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

3.2(14) मैसर्स ग्रोज इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू – विनिर्मित वस्तुओं तथा उनके निर्यात से संबंधित माल (आयातित या स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्त) के समेकन के लिए प्रस्ताव

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति तथा एचबीपी में निहित प्रावधानों के अधीन विनिर्मित वस्तुओं तथा उनके निर्यात से संबंधित माल (आयातित या स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्त) के समेकन को अनुमत करने के लिए मैसर्स ग्रोज इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

3.3(14) मैसर्स नूरे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एमईपीजेड के तहत ईओयू – देशज सामग्री अर्थात "वैज्ञानिक डोर'' जो प्रेस स्टील डोर के नाम से विख्यात है, के ड्यूटी फ्री प्रापण के लिए प्रस्ताव

विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विशेष मामले के रूप में विदेश व्यापार नीति तथा एचबीपी में निहित प्रावधानों के अधीन देशज सामग्री अर्थात "वैज्ञानिक डोर'' जो प्रेस स्टील डोर के नाम से विख्यात है, के ड्यूटी फ्री प्रापण को अनुमत करने के लिए मैसर्स नूरे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एमईपीजेड के तहत ईओयू के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

3.4(14) मैसर्स एडविनस थेराप्यूटिक्स लिमिटेड, एसईईपीजेड के तहत ईओयू – प्रयोगशाला पशुओं – चूहा और खरगोश के ड्यूटी फ्री आयात के लिए प्रस्ताव

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति तथा डीजीएफटी लाइसेंस में निहित प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों / विनियमों जैसे कि सीआईटीईएस एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन प्रयोगशाला पशुओं – चूहा और खरगोश के ड्यूटी फ्री आयात को अनुमत करने के लिए मैसर्स एडविनस थेराप्यूटिक्स लिमिटेड, एसईईपीजेड के तहत ईओयू के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

3.5(14) मैसर्स टाटा लॉकहेड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, वीएसईजेड के तहत ईओयू – मौजूदा एलओपी में अतिरिक्त सेवाओं को शामिल करने के लिए प्रस्ताव

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति तथा एचबीपी में निहित प्रावधानों के अधीन उनके मौजूदा एलओपी में अतिरिक्त सेवाओं अर्थात उपकरणों की टूल डिजाइनिंग सर्विस / रिपेयर और मरम्मत तथा एसईजेड या विदेश में किसी अन्य स्थान के लिए टूलिंग सर्विस / उत्पाद अनुरक्षण सेवा / एयरक्राफ्ट की उपभोज्य वस्तुओं की विस्तृत इंजीनियरिंग सेवा / संभाव्यता अध्ययन सेवा / गुणवत्ता जांच सेवा / उपकरण जांच तथा कैलिब्रेशन सेवा को शामिल करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु मैसर्स टाटा लॉकहेड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, वीएसईजेड के तहत ईओयू के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

3.6(14) मैसर्स जैन ग्रैनी मारमो प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू – डीटीए में रिजेक्ट / अपशिष्ट / स्क्रैप के निस्तारण के लिए अनुमति

बोर्ड ने डीटीए में रिजेक्ट / अपशिष्ट / स्क्रैप के निस्तारण के स्तर में वृद्धि के लिए मैसर्स जैन ग्रैनी मारमो प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू के प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया कि यूनिट का प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ जा सकता है।

3.7(14) मैसर्स टौरस एगिल टेक्नोलॉजी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू – निगेटिव एनएफई के बावजूद एलओपी की अवधि बढ़ाना

बोर्ड ने निगेटिव एनएफई के बावजूद एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टौरस एगिल टेक्नोलॉजी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू के प्रस्ताव पर विचार किया। विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को निदेश दिया कि वे प्रस्ताव की फिर से जांच करें तथा सुनिश्चित करें कि यूनिट ने उत्पादन कब शुरू किया है, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करें तथा अपेक्षित होने पर अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।

3.8(14) 5 प्लास्टिक यूनिटों अर्थात (i) मैसर्स प्राइम एक्सपोर्टर, (ii) मैसर्स सैन पोलीप्लास्ट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड (iii) मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, (iv) मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (v) मैसर्स आशु प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, के एलओपी का विस्तार

बोर्ड ने प्लास्टिक रिसाइक्लिंग यूनिटों के एलओपी की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा नोट किया कि वर्ष 2009 में एलओपी की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय अनुमोदन बोर्ड ने कुछ शर्तें निर्धारित की थी जिसमें 5 साल की ब्लॉक अवधि के अंत में भौतिक निर्यात के 80 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करना शामिल था। बोर्ड ने टिप्पणी की कि :

1. **मैसर्स प्राइम एक्सपोर्टर्स : यूनिट 5 साल की ब्लॉक अवधि के अंत में भौतिक निर्यात के 80 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है। तथापि 2009 से 2014 तक नियमित भौतिक निर्यात को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने यथासंशोधित तथा ईओयू यूनिटों पर लागू किए गए नीति दिर्शानिर्देश दिनांक 17 सितंबर, 2013 के अनुसार एसईजेड में समान यूनिटों के लिए निर्धारित बाध्यताओं के अधीन अगले 5 साल के लिए अर्थात 01 अक्टूबर, 2019 तक यूनिट के एलओपी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।**
2. **मैसर्स सैन पोलीप्लास्ट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड : यूनिट 2010 से 2013 की अवधि के दौरान भौतिक निर्यात के 80 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है। तथापि 2009 से 2014 तक नियमित भौतिक निर्यात को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने यथासंशोधित तथा ईओयू यूनिटों पर लागू किए गए नीति दिर्शानिर्देश दिनांक 17 सितंबर, 2013 के अनुसार एसईजेड में समान यूनिटों के लिए निर्धारित बाध्यताओं के अधीन अगले 5 साल के लिए अर्थात 01 अक्टूबर, 2019 तक यूनिट के एलओपी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। विकास आयुक्त वार्षिक आधार**

पर यूनिट द्वारा निर्धारित शर्तों एवं सुरक्षोपायों के अनुपालन की निगरानी करेंगे तथा वाणिज्य विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

3. मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड : यूनिट ने अनधिकृत रूप से अपनी क्षमता 2132 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5292 मीट्रिक टन कर ली है तथा 5 साल की ब्लॉक अवधि के अंत में भौतिक निर्यात के अधिदेशित 80 प्रतिशत लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकी है। अत: अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को निर्धारित शर्तों का पालन करने में उसकी विफलता के लिए यूनिट के विरुद्ध कार्यवाही को अधिक से अधिक 31 अक्टूबर, 2014 तक अंतिम रूप देने तथा वाणिज्य विभाग के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इस बीच, अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत क्षमता पर तथा 2009 में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लगाई गई समान शर्तों पर 3 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2014 तक यूनिट के एलओपी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

4. मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड : यूनिट ने अनधिकृत रूप से अपनी क्षमता 1584 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7950 मीट्रिक टन कर ली है तथा 5 साल की ब्लॉक अवधि के अंत में भौतिक निर्यात के अधिदेशित 80 प्रतिशत लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकी है। अत: अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को निर्धारित शर्तों का पालन करने में उसकी विफलता के लिए यूनिट के विरुद्ध कार्यवाही को अधिक से अधिक 31 अक्टूबर, 2014 तक अंतिम रूप देने तथा वाणिज्य विभाग के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इस बीच, अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत क्षमता पर तथा 2009 में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लगाई गई समान शर्तों पर 3 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2014 तक यूनिट के एलओपी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

5. मैसर्स आशु प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड : यूनिट ने अनधिकृत रूप से अपनी क्षमता 6000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 9676 मीट्रिक टन कर ली है तथा 5 साल की ब्लॉक अवधि के अंत में भौतिक निर्यात के अधिदेशित 80 प्रतिशत लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकी है। अत: अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को निर्धारित शर्तों का पालन करने में उसकी विफलता के लिए यूनिट के विरुद्ध कार्यवाही को अधिक से अधिक 31 अक्टूबर, 2014 तक अंतिम रूप देने तथा वाणिज्य विभाग के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इस बीच, अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत क्षमता पर तथा 2009 में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लगाई गई समान शर्तों पर 3 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2014 तक यूनिट के एलओपी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

भाग-2

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों की अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि

(क)	जून, 2014 से जुलाई, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एसईईपीजेड
(ख)	जून, 2014 से जुलाई, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	आईएसईजेड
(ग)	अप्रैल, 2014 से जून, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(घ)	जून, 2014 से अगस्त, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड

पुराने मामले

(क)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन जनवरी, 2001 में जारी की गई एलओपी	वीएसईजेड
(ख)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन मार्च, 2000 में जारी की गई एलओपी	एमईपीजेड

प्रतिभागियों की सूची

1	श्री राजीव खेर, वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
2	श्री राम तीर्थ, महानिदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग	
3	श्री राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग	
4	श्री मधुप व्यास, निदेशक, वाणिज्य विभाग	
5	श्री तेजपाल सिंह, अपर डीजीईपी, राजस्व विभाग	
6	श्री जितेंद्र कुमार, अपर निदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग	
7	डा. एल बी सिंघल, अपर डीजीएफटी	
8	सुश्री दीपशिखा शर्मा, अवर सचिव (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग	
9	श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, वीएसईजेड	
10	सुश्री सफीना ए एन, विकास आयुक्त, सीएसईजेड	
11	श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, एफएएसईजेड	
12	श्री ए के चौधरी, विकास आयुक्त, एमएसईजेड	
13	श्री सुमित जेराथ, विकास आयुक्त, एनएसईजेड	
14	श्री एन पी एस मोंगा, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड – एसईजेड	
15	श्री विजय शाल्वे, विकास आयुक्त, केएएसईजेड	
16	सुश्री लता शुक्ला, विकास आयुक्त, एपी एसईजेड	
17	श्री ए के राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड	
18	सुश्री माला रंगाराजन, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड	
19	श्री राकेश कुमार, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड	
20	श्री एस के साहू, उप निदेशक (ईपी), डीसी, एमएसएमई का कार्यालय	

***